भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3529

दिनांक 10.12.2019/19 अग्रहायण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

कैदियों पर हुआ खर्च

† 3529. श्री श्रीनिवास दादासहेब पाटीलः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कैदियों पर किए गए खर्च की संपरीक्षा की है तथा यदि हां, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान की गई संपरीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संपरीक्षा के दौरान कैदियों पर हुए व्यय में अत्यधिक विसंगतियां पाई गई हैं तथा यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने खातों की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से करवाने का निर्णय लिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा कारावासों में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने सूचित किया है कि भारत के संविधान और "नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का (कर्तव्यक़शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971" के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार, कारागार विभाग और जेलों/कारागारों का ऑडिट संबंधित राज्यों के महालेखाकारों द्वारा किया जाता है। ऑडिट रिपोर्टों को राज्य विधान मंडल के पटल पर रखने के पश्चात इन रिपोर्टों को सीएजी की वेबसाईट https://cag.gov.in/audit-reports पर अपलोड किया जाता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि-4 के अनुसार "कारागार" और "उनमे कैद व्यक्ति" राज्य के विषय हैं और ऑडिट रिपोर्ट में की गई टिप्पाणियों/सिफारिशों पर उपचारात्मकक कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कारागार के कुशल प्रशासन और कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए उपायों को अपनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवाइजरी जारी की हैं। आदर्श कारागार संहिता 2016 भी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई है , जिसमें कैदियों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के लिए कारागार सुधार के व्यापक मुद्दों जैसे कि हिरासत प्रबंधन, कैदियों का कल्याण, चिकित्सा देखभाल, व्याावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आदि के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश निहित हैं।

*****